प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 19.09.2026

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 03.07.2026 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि प्रतिवादीगण 1. रवि सैनी पुत्र राज सिंह निवासी बेहटा हाजीपुर लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद 2. विपिन कुमार पुत्र रामफूल निवासी ग्राम रेवडी रेवडा, मोदीनगर गाजियाबाद 3.जोनी पुत्र जगदीश निवासी ग्राम मानौली मोदीनगर, गाजियाबाद व अन्य अज्ञात द्वारा वादी के मृतक चाचा हरिकिशन की जमीन धोखाधडी, साजिश कर जमीन का फर्जी बैनामा करा लेने व जान-माल की धमकी देना जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 318(4)/319(2)/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। विवेचना/ साक्ष्यों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 336(3)/338/340(2)/61(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 19.09.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रवि सैनी पुत्र राज सिंह निवासी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद, उम्र करीब 44 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरा साला जोनी है, जिसने कहा तुम अपने नाम कुछ जमीन करा लो उसमें जो खर्चा आयेगा में करूँगा। जोनी ने एक वकील विपिन से मिलवाया और हम तीनों ने मिलकर वादी के मृतक चाचा हरिकिशन की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन का फर्जी बैनामा करा लिया व कहीं पर भी शिकायत करने पर जाने से मारने की धमकी भी दी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रवि सैनी पुत्र राज सिंह निवासी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद, उम्र करीब 44 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 30.08.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त द्वारा वादिया के बेटे नदीम के साथ धारदार हथियार से वार करना, गाली गलौज करना व जान से मारने की धमकी देना जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना लोनी बॉर्डर पर सुसंगत धारा- 115(2), 352, 351(3), 118(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही से मुकदमा उपरोक्त में धारा- 109(1), 3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 31.08.2026 को वांछित अभियुक्त सारिक पुत्र इसरार निवासी आर्य नगर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 01.09.2026 को उपरोक्त अभियोग में वांछित बाल अपचारी को अभिरक्षा में लेकर विधिक कार्यवाही की गयी।

आज दिनांक 19.09.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अमान उर्फ अमन पुत्र मौ0 नासिर निवासी आर्य नगर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरे दोस्त (बाल अपचारी) की नदीम के साथ घटना से कुछ दिन पहले कहासुनी हुई थी, मेरे दोस्त (बाल अपचारी) ने हमें यह बात बतायी तो हमने मिलकर नदीम के साथ गाली-गलौज व मारपीट की तथा मेरे दोस्त (बाल अपचारी) ने नदीम को चाकू मार दिया था।

अभियुक्त का नाम व पता-

अमान उर्फ अमन पुत्र मौ0 नासिर निवासी आर्य नगर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा Swiggy प्लेटफॉर्म के माध्यम से साइबर फ्रॉड में लिप्त 01 अभियुक्त गिरफ्तार। थाना साइबर क्राइम गाजियाबाद के 01 अभियोग का खुलासा, घटना में प्रयुक्त 04 मोबाइल फोन, 01 टैबलेट, 01 लैपटॉप बरामद।

ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाले Swiggy प्लेटफॉर्म पर फर्जी रेस्टोरेन्ट रजिस्टर कराकर एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड्स हैक कर, उन क्रेडिट कार्ड्स से अपने फर्जी रेस्टोरेन्ट को ऑर्डर कर उन ऑर्डर को डिलीवर दिखाकर Swiggy से अपने खाते में पेमेन्ट लेकर करीब 30 लाख रुपये का साइबर फ्रॉड करने की घटना के सम्बन्ध में श्री बिस्वजीत चौधरी मैनेजर – जोखिम प्रबंधन टीम, वसुंधरा इन्द्रापुरम गाजियाबाद द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया।

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा विवेचना के क्रम में उपरोक्त अभियोग में इस साइबर फ्रॉड की घटना करने वाले अभियुक्त गर्वित पुत्र श्री संजीव कुमार निवासी मं0नं0 1917 वार्ड नं0 13 मोहल्ला पहाड़ा, रोहतक थाना पुरानी सब्जी मंडी जनपद रोहतक हरियाणा हाल पता प्लॉट नं0 20 तृतीय तल ए ब्लाक सेक्टर 03 वैशाली जनपद गाजियाबाद को थाना क्षेत्र कौशाम्बी, गाजियाबाद से दिनांक 18.09.2026 को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह TECH MAHINDRA में कस्टमर केयर की नौकरी करता था। You tube पर वीडियो देखकर उसे इस तरह से फ्रॉड करने का आइडिया आया। इसके बाद उसने श्याम की रसोई तथा राधा की रसोई नाम से दो फर्जी रेस्टोरेंट बनाकर FSSAI से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया। You tube पर क्रेडिट कार्ड की डिटेल तथा Swiggy के खातों की डिटेल उपलब्ध कराने वाले FAST OTP BOT टेलीग्राम चैनल के बारे में जानकारी हुई तथा FAST OTP BOT टेलीग्राम चैनल का लिंक मिला। इस लिंक के माध्यम से वह इस टेलीग्राम BOT से जुड़ा तथा एक्सिस बैंक के 52 क्रेडिट कार्ड की डिटेल ली। इसके बाद उसने अपने फर्जी रेस्टोरेन्ट को अपने मोबाइल नम्बर तथा बैंक खाते के साथ SWIGGY प्लेटफार्म पर रजिस्टर किया। FAST OTP BOT टेलीग्राम चैनल पर क्रेडिट कार्ड धारकों का डाटा मिलता था।

इन क्रेडिट कार्ड धारकों के मोबाइल नम्बर पर JIOJOIN नाम के एप से एक्सिस बैंक का ग्राहक सेवा अधिकारी बनकर वाई-फाई कॉलिंग करता था और क्रेडिट कार्ड धारकों से क्रेडिट कार्ड में लगे सर्विस चार्ज तथा लेट पेमेंट हटाने के लिए सर्विस REQUEST RAISE करने के नाम पर SWIGGY के ऑर्डर के पेमेंट की ओटीपी लेकर SWIGGY में पेमेन्ट कर देता था। उन आर्डरों को अपने फर्जी रेस्टोरेन्ट से फर्जी डिलीवरी दिखाकर, SWIGGY से सर्विस चार्ज काटकर शेष पैसा SWIGGY प्लेटफार्म पर रजिस्टर अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करा लेता था। इन पैसों को एटीएम तथा चेक के माध्यम से निकाल लेता था। SWIGGY पर सबसे पहले श्याम की रसोई नाम से फर्जी रेस्टोरेन्ट रजिस्टर किया था, उस पर शिकायत आने पर राधा की रसोई नाम से फर्जी रेस्टोरेन्ट को SWIGGY प्लेटफार्म पर रजिस्टर किया। राधा की रसोई फर्जी रेस्टोरेन्ट को Swiggy प्लेटफॉर्म द्वारा बैन करने पर खाना खजाना नाम से एक और फर्जी रेस्टोरेन्ट बनाकर SWIGGY प्लेटफार्म पर रजिस्टर किया। इस समय इसी रेस्टोरेन्ट के माध्यम से साइबर फ्रॉड कर रहा था। अभियुक्त ने दिनांक 17/09/2026 को FAST OTP BOT टेलीग्राम चैनल से मिले क्रेडिट कार्ड धारक एम. श्रीनिवास के क्रेडिट कार्ड से 38 हजार का SWIGGY प्लेटफार्म पर अपने फर्जी रेस्टोरेन्ट के नाम पर ऑर्डर जनरेट कर साइबर फ्रॉड किया है। अभियुक्त से बरामद साक्ष्य में FAST OTP BOT टेलीग्राम चैनल से चैट, क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल की गूगल शीट, फर्जी रेस्टोरेन्ट के FSSAI दस्तावेज, फ्रॉड में प्रयोग किये गये मोबाइल नम्बर का परिशीलन किया जा रहा है।

FAST OTP BOT टेलीग्राम चैनल द्वारा हैक किये हुए डाटा उपलब्ध कराने के बदले जिन QR Code पर अभियुक्तों से पेमेन्ट प्राप्त की गई थी, उन QR Code के आधार पर तथा Telegram User ID से डाटा प्राप्त कर इन अभियुक्तों के विरुध्द कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

गर्वित पुत्र श्री संजीव कुमार निवासी मं0नं0 1917 वार्ड नं0 13 मोहल्ला पहाड़ा, रोहतक थाना पुरानी सब्जी मंडी जनपद रोहतक हरियाणा हाल पता प्लॉट नं0 20 तृतीय तल ए ब्लाक सेक्टर 03 वैशाली जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष, शिक्षा – बी. कॉम।

बरामदगी का विवरण –

घटना में प्रयुक्त 04 मोबाइल फोन, 01 टैबलेट, 01 लैपटॉप।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

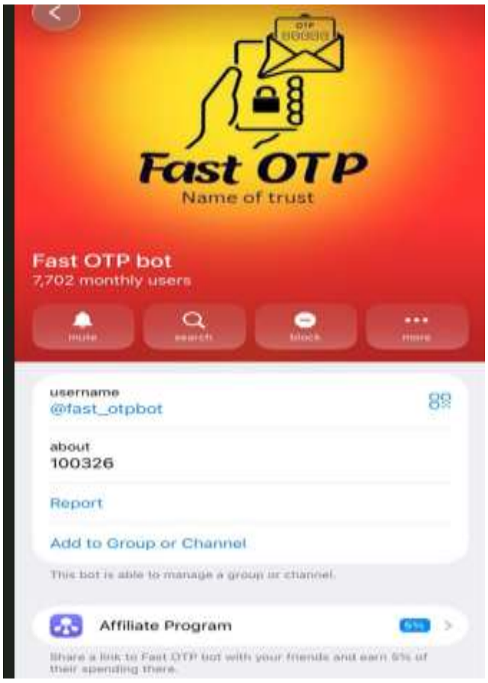

Registration Certificate
Government of Uttar Pradesh
Department of Food Safety and Drug Administration
Food Safety and Standards Authority of India
Registration Certificate under FSS Act, 2006

पंजीकरण संख्या / Registration Number: **22725691000174**

1.	Name and permanent address of Food Business Operator (FBO) / खाद्य व्यापार ऑपरेटर का नाम और स्थायी पता:	Shyam Rasoi 860f vaishali , Vaishali , Ghaziabad Nagar Nigam Zone-5, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201019
2.	Address of location where food business is to be conducted / premises / स्थान का पता जहां खाद्य व्यापार / परिसर है:	860f vaishali , Vaishali, Ghaziabad Nagar Nigam Zone-5, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201019
3.	Nearest Landmark / निकटतम स्थलचिह्न:	N/A
4.	Kind of Business / कारोबार का प्रकार:	Petty Retailer of snacks/tea shops
5.	Photo Identity Card / फोटो पहचान पत्र(विवरण) :	N/A

This Registration certificate is issued under and is subject to the provisions of FSS Act, 2006 all of which must be complied with by the petty food business.

Place / स्थान: Ghaziabad **Registering Authority**
Issued On / दिनांक: 16-07-2026 (Renewal Registration)
Valid Upto: / वैधता: 15-07-2027 (For details, refer Annexure)

Annexures:
1. Product Annexure
2. Validity Annexure
3. Registration Id Card

To download 'Food Safety Connect' App, Scan the below QR
Android iOS

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा फ्लैट /दुकान बुकिंग के नाम पर करोडो रूपये की धोखाधडी के मुकदमें वांछित अभियुक्त को मय 8000 /-रूपये नकद के गिरफ्तार

दिनांक -28.06.2026/16.07.2026 वादीगण की तहरीर के आधार पर थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 384/2026 व 428/26 में पंजीकृत धोखाधड़ी के प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त अंकुर सिंघल पुत्र हरिओम सिंघल उम्र करीब 37 वर्ष, हाल निवासी E-84, फ्लैट न0 UGF 3 & 4, गली न0 10, बालाजी इन्कलेव, गोविन्दपुरम, थाना कविनगर ,गा0बाद, मूल निवासी -बी-220 निकट हरिहर मंदिर लोहियानगर,

थाना सिहानी गेट, गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। उक्त प्रकरण में 09 अभियुक्तगण को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

उक्त मुकदमा M/s ASR Realtech Limited एवं M/s Right Earth Infra LLP की परियोजनाओं में फ्लैट/दुकान बुकिंग के नाम पर निवेशकों से करोड़ों रुपये लेकर धोखाधड़ी करने के आरोप में पंजीकृत है। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों, बैंक खातों एवं अन्य दस्तावेजों के परीक्षण में यह तथ्य प्रकाश में आया कि निवेशकों से प्राप्त धनराशि गिरफ्तार अभियुक्त के बैंक खातो में भी प्राप्त हुआ है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इसकी संलिप्तता पाए जाने पर अभियुक्त अंकुर उपरोक्त गिरफ्तार किया गया।

कार्यवाही का विवरण-

दिनाँक 28.07.2026 को थाना नन्दग्राम पर पंजीकृत धोखाधडी , कूटरचना , गबन आदि से समबन्धित अभियोगो की विवेचनाओ मे विधिक विवेचनात्मक कार्यवाही, गिरफ्तारी / पूछताछ / साक्ष्य संकलन हेतु गठित SIT टीम मे से गिरफ्तारी टीम के अधि0/कर्म0 द्वारा मोरटा के पास से अभियुक्त अंकुर सिंघल पुत्र हरिओम सिंघल उम्र करीब 37 वर्ष, हाल निवासी E-84, फ्लैट न0 UGF 3 & 4, गली न0 10, बालाजी इन्कलेव, गोविन्दपुरम, थाना कविनगर ,गा0बाद, मूल निवासी -बी-220 निकट हरिहर मंदिर लोहियानगर, थाना सिहानी गेट, गा0बाद, मो0 -9560150304 को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

अभियुक्त का नाम व पता –

अंकुर सिंघल पुत्र हरिओम सिंघल उम्र करीब 37 वर्ष, हाल निवासी E-84, फ्लैट न0 UGF 3 & 4, गली न0 10, बालाजी इन्कलेव, गोविन्दपुरम, थाना कविनगर ,गा0बाद, मूल निवासी -बी-220 निकट हरिहर मंदिर लोहियानगर, थाना सिहानी गेट, गा0बाद, मो0 -9560150304

बरामदगी विवरण-

कुल 8000/- रूपये बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

एसआईटी प्रभारी/निरीक्षक श्री सतराज सिंह मय एसआईटी पुलिस टीम थाना सिहानी गेट /नन्दग्राम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा शादी का झांदा देकर दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 18.09.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद पर वादिया की लिखित तहरीर के आधार पर वादिया के साथ अभियुक्त अनिल कुमार के द्वारा आवेदिका के कमरे पर आकर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना तथा वादिया के सहमति के बिना दवाई देकर गर्भपात करा देना एवं शादी करने की बात कहने पर गाली गलोच कर मारपीट करने के संबंध में दी गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 69/89/115(2)/352 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा जांच की गयी, जांच के क्रम में वादिया के बयान धारा 180 BNSS, मेडीकल व अन्य साक्ष्य संकलन से अभियुक्त अनिल कुमार उपरोक्त द्वारा घटना को अंजाम देना पाया गया, जिसके आधार पर वांछित अभियुक्त अनिल कुमार की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

दिनांक 18.09.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र स्व0 श्री देवदत्त निवासी ग्राम सौंदा पोस्ट गझडा थाना दुयोरिया कला जनपद पीलीभीत उम्र करीब 31 वर्ष को थाना

चौराहा थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत से गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ पर जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि मेरी जान पहचान वादिया से सन 2017 में बीसलपुर के मोहल्ला दुर्गा प्रसाद में हुई थी। वही से हमारी बातचीत शुरु हो गयी और धीरे धीरे हम एक दूसरे को पसंद करने लगे और हमारी बातचीत शुरु हो गयी। सन 2020 में वादिया अपने पिता के साथ बहरामपुर क्षेत्र थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद में आकर रहने लगी। बातचीत के दौरान मै बहरामपुर थाना क्रासिंग रिपब्लिक आकर वादिया से मिलने लगा और इसी दौरान हमारे बीच बहरामपुर क्षेत्र थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद में मेरे व वादिया के बीच आपसी सहमति से सम्बंध बने जिसके बाद वादिया के बुलाने पर बहरामपुर क्षेत्र थाना क्रासिंग रिपब्लिक में आकर मैने कई बार वादिया के साथ उसकी सहमति से सम्बंध बनाए थे।

अभियुक्त का नाम व पता

अनिल कुमार पुत्र स्व0 श्री देवदत्त निवासी ग्राम सौंदा पोस्ट गझडा थाना दुयोरिया कला जनपद पीलीभीत उम्र करीब 31 वर्ष

अपराधिक इतिहास –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध मे 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।